न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.गुलाबकंवर पुत्री वरदसिंह 2.कृष्णकंवर पुत्री वरदसिंह 3.लुंगकंवर पुत्री वरदसिंह 4.पवनकंवर पुत्री वरदसिंह जातियान राजपूत निवासीगण भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर		1.अमरसिंह पुत्र वरदसिंह 2.जीवसिंह पुत्र वरदसिंह 3.जोगसिंह पुत्र वरदसिंह 4.कालूसिंह पुत्र वरदसिंह 5.स्व.मंगलसिंह पुत्र वरदसिंह के कायम मुकाम:- 5/1.पंचकंवर पुत्री मंगलसिंह 5/2.कैलाशकंवर पुत्री मंगलसिंह 5/3.कमला कंवर पुत्री मंगलसिंह 5/4.इन्द्राकंवर पुत्री मंगलसिंह 5/5.कंकरकंवर पत्नि मंगलसिंह 6.सरकंवर पत्नि वरदसिंह जातियान राजपूत निवासीगण भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर 7.सरकार जरिए तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर 8.श्री पेपसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी भीनमाल

प्रकरण संख्या अपील **52/2015**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री सुरेन्द्र दवे अभिभाषक अपीलान्टस
2-श्री प्रवीण घांची अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व 6
3-श्री तेजसिंह बालावात अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/4 व 8
4-श्री त्रिलोकचंद मेहता/श्री फरमान अली अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/5
6-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.03.2018

1. अपीलान्टस ने यह अपील तहसीलदार भीनमाल के आदेश दिनांक 23.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम भीनमाल के नामान्तरकरण संख्या 2446 पर पारित किया गया है।

2. अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा भीनमाल-ए तहसील में अपीलांट की पैतृक पुश्तैनी भूमि खसरा नबंर 4620 रकबा 10.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4628 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नबंर 4322 रकबा 6.80 हैक्टेयर आई हुई है।उक्त आराजी अपीलांट के पिता वरदसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह कौम राजपूत साकिन भीनमाल एवं दीगर के नाम से दर्ज थी। वरदसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह का दिनांक 28.12.2007 को स्वर्गवास हो गया तब उनके स्थान पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2446 दिनांक 23.02.2008 खोला गया। उक्त नामान्तरकरण खोलते समय अपीलांट का नाम वरदसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह की जाईन्दा पुत्रिया होने से शामिल करना चाहिए था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा स्व.वरदसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह के कायम मुकाम की सही जांच नही की तथा अपीलांटस का नाम नामान्तरकरण जैर अपील में अंकित नहीं किया तथा वरदसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह की बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का नाम दर्ज किया गया। जबकि स्व. वरदसिंह की आराजी में अपीलांटस का उनकी वारिसदार होने के नाते जन्म से हक व अधिकार है, जिससे उक्त आराजी में अपीलांटस का नोशनल शेयर कानूनीय रूप से बनता है।अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलांटस का नाम दर्ज नही करने से व्यथित होकर पर अपील पेश है।

sd/-

4. अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया कि नामान्तरकरण में अंकित आराजी अपीलांटस की पैतृक पुश्तैनी भूमि है तथा वरदसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह की जाईन्दा पुत्रिया होने के नाते अपीलांटस का भी जन्म से उक्त आराजी में हक व अधिकार बनता है, जिससे अपीलांटस का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण मैं दर्ज किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है।अपीलाधीन नामान्तरकरण करते समय पटवारी हल्का द्वारा स्व. वरदसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह के कायम मुकाम की बारिकी से जांच नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त पटवारी द्वारा दर्ज वरदसिंह के कायम मुकाम व वारिसदारो की बिना जांच किये अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। अपीलांटस गृहणी एवं असाक्षर महिलाए है।जिनको राजस्व रेकर्ड देखने का काम कभी नहीं पडता है तथा अपीलांटस इस विश्वास में रहे कि अपने पिता स्व. वरदसिंह की आराजी में नाम दर्ज हुआ होगा। अपीलांटस को खेती में खाद बीज हेतु रूपये की आवश्यकता होने से ऋण प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.07.2015 को पटवारी हल्का के पास गई तथा उक्त आराजी की जमावंदी मांगी तो पटवारी हल्का ने रेकर्ड देखकर अपीलांटस का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होना बताया तो अपीलांट दिनांक 09.07.2015 को तहसील कार्यालय भीनमाल में जाकर नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 14.07.2015 को मिली तब प्रथम बार अपीलांट का नाम स्व. वरदसिंह की खातेदारी में दर्ज नहीं होने की तथा अपीलांटस का नाम जैर अपील नामान्तरकरण में नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई उससे पूर्व कभी नहीं हुई। जिस पर अपीलांटस ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 को उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो आश्वासन देते रहे। परन्तु अभी दिनांक 18.09.2015 को रेस्पोडेन्टस अपीलांटस उक्त आराजी में नाम दर्ज करवाने से इन्कार हो गये। जिससे अपील अंदर म्याद है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे तथा स्व. वरदसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह की उपरोक्त आराजी में वारिसदार के नाते अपीलांटस का नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित करावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें अपीलांट का भी हक है।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/5 व 8 के अभिभाषकगण ने व्यक्त किया कि अपीलांटस को राजस्व रेकर्ड की जानकारी 2013 से है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है। अपीलांटस ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध खातेदारी घोषणा का वाद दिनांक 20.09.2013 को सहायक कलेक्टर भीनमाल के समक्ष पेश कर रखा है। जिसमें अपीलांटस को राजस्व रेकार्ड की पूर्ण जानकारी है। अपीलांटस ने दिनांक 02.07.2015 को पटवारी के पास जाना गलत बताया है तथा अपील को गलत व झूठे आधारो पर अंदर मियाद शुमार करने लिये दिनांक 14.07.2015 को प्रथम बार रेकर्ड की जानकारी होने का कथन किया है जो मानने योग्य नहीं है। अपीलांट ने दिनांक 20.09.2013 के पूर्व राजस्व रेकर्ड की जानकारी होने से अपील मियाद बाहर है। अपीलांट को रेकर्ड की जानकारी होने के समर्थन में सहायक कलेक्टर के चल रहे प्रकरण संख्या 58/13 वादीया गुलाब कंवर बनाम अमरसिंह आदेशिका व वाद पत्र के प्रति के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा। खातेदारी घोषणा का वाद चलने से म्यूटेशन अपील मेन्टनेबल नही है क्योकि अधिकार वाद में बाद साक्ष्य तय होगें। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

7. सरकारी अभिभाषक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/5 व 8 के अभिभाषकगण ने व्यक्त किये गये तथ्यो का समर्थन करते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया।

8. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया।

अपीलांटस " प्रार्थीगण/अपीलांटस गृहणी एवं असाक्षर महिलाए है,जिनको राजस्व रेकर्ड देखने का काम कभी नहीं पडता है तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस इस विश्वास में रहे कि अपने स्व.पिता वरदसिंह की आराजी में नाम दर्ज हुआ होगा। प्रार्थीगण/अपीलांटस को खेती में खद बीज हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से ऋण प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.07.2015 को पटवारी हल्का के पास गई तथा उक्त आराजी की जमावंदी मांगी तो पटवारी हल्का ने रेकर्ड देखकर प्रार्थीगण/अपीलांटस का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होना बताया तो प्रार्थीगण/अपीलांटस दिनांक 09.07.2015 को तहसील कार्यालय भीनमाल में जाकर नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया,जो नकल दिनांक 14.05.2015 को मिली। तब प्रथम बार अपीलांट का नाम स्व. वरदसिंह की खातेदारी में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई, उससे पूर्व कभी भी नहीं हुई। जिस पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 को उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो आश्वासन देते रहे। परन्तु अभी दिनांक 18.09.2015 को

Sd/-

रेस्पोडेन्टस अपीलांटस उक्त आराजी में नाम दर्ज करवाने से इन्कार हो गये। जिससे अपील अंदर म्याद पेश की है।''

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार सहायक कलेक्टर भीनमाल के न्यायालय में वाद संख्या 58/2013 अनवान गुलाब कंवर वगैराह बनाम अमरसिंह वगैराह में 20.09.2013 को दावा बाबत घोषणात्मक खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करने के दिन से ही थी। इस प्रकार अपीलांटस का उपरोक्त कथन को सत्य मानने का कोई ठोस आधार नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाधीन आदेश के निर्णय की जानकारी देरी से हुई।

इस प्रकार प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर है और अपील प्रस्तुत करने की उक्त देरी को उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार धारा 5 लिमीटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र कानूनी तौर पर मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण उक्त देरी को क्षमा भी नही किया जा सकता है और अपील मियाद बाहर करार दी जाती है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 27.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर